RE: SUICIDE BY WOMAN ON BEING STRIPPED BEFORE NYAYA PANCHAYAT IN KARNATAKA

PROF. RAM KAPSE (Maharashtra): Sir, I am raising a point of atrocities on a woman. A lady from Karnataka, named Taiama, faced a cruel treatment from villagers and she ultimately committed suicide. She was staying in Marukanahalli village in Mandya district of Karnataka. She had a quarrel with one Suresh, son of a former village Panchayat Chairman for grazing his cattle on her fields.

The Nyaya Panchayat ordered her to pay a fine of Rs. 1001. But the worst thing was that she was stripped and tied to a pole by the villagers. Her husband was not allwed to cover her body with a cloth. She could not bear the humiliation and on 4th December she committed suicide. In this case, the law should take the proper course and action should be taken. Atrocities committed on women should be condemned. This is the matter which I wanted to raise in the House. I hope enough steps would be taken to protect women.

RE: ALLOTMENT OF 600 ACRES OF LAND TO A TRUST IN MATHURA DISPLACING WEAKER SECTIONS FROM THE LAND

श्री रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहां उत्तर प्रदेश से संबंधित एक मामला उठा रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक ग्राम-प्रधान ने कुछ दिनों पहले एक मेमोरेंडम प्रधान मंत्री जी को दिया था। उसकी कापी एक पत्र के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ई. बालानन्दन साहब को दी थी। बालानन्दन साहब ने उत्तर प्रदेश के गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी कि इसकी जांच कराई जाये। गवर्नर ने 25 सितम्बर को राजस्व सचिव को आदेश दिया कि वे इस मामले की जांच करें। राजस्व सचिव ने एक अक्तूबर को आगरा के कमिश्नर को एक पत्र लिखकर जांच करने के आदेश दिये थे। मामला यह था कि वहां एक गांव धोरेरा है और उसमें 660.8 एकड़ जमीन का मामला था। 1976 में भूमिहीन लोगों को वहां पट्टे दिये गये थे, उनका उसपर कब्जा था। कुछ लोगों ने ट्यूबवैल लगा लिये थे, कुछ हटमेंट्स थे और उन लोगों ने वहां पर खेती का काम शुरू कर दिया था । मथुरा जिले के कलेक्टर ने एक ट्रस्ट को जिसका नाम हसानन्द बोचर ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी को प्रसन्न करने के लिए, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के किसी हाईएस्ट अथोरिटी से रहा होगा, उस 660.8 एकड़ जमीन को उस ट्रस्ट को दे दिया। पुलिस और पीएसी की मदद से जिन भूमिहीन लोगों का, जिन अनुसूचित जाति के लोगों का, कमजोर वर्ग के लोगों का उस जमीन पर कब्जा था उनको बेदखल कर दिया। कमिश्नर ने इसकी जांच की और दो दिसम्बर को अपनी जांच रिपोर्ट में यह लिखा कि मथुरा जनपद में ग्राम धोरेरा में हसानन्द बोचर ट्रस्ट के श्रीपाद बाबा को सदाकान्त जिला अधिकारी ने अवैध रूप से 660.8 एकड़ भूमि जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये से अधिक है, का कब्जा पुलिस की मदद से अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यक पट्टेदारों, जिनके नाम पट्टे 1976 में किये गये थे, उनको जबरन बेदखल करके दे दिया गया है। इस मामले में जो अधिकारी लेखपाल, नायब तहसीलदार और तहसीलदार जिन्होंने डीएम को को-ऑपरेट नहीं किया, उनको इस दरमियान ट्रांसफर किया और वहां ऐसे लोगों को पोस्ट किया गया जो कलेक्टर की मनमानी के मुताबिक रिपोर्ट दे दें। अब रिपोर्ट वहां है

But the DM is not being penalised.

वहां जिन भूमिहीन लोगों की जमीन थी, जिनके नाम पट्टा हुआ था, उनको वापस नहीं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से बल्कि चेयर से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह केन्द्र सरकार को डायरेक्शन दे कि जिन लोगों की जमीनें छीनी गई हैं, उनको वापस दिलाई जायें। जो गलती करने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाये क्योंकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है इसलिए यह केन्द्र सरकार के परव्यू में आता है।

उपसभाध्यक्ष (मोहम्मद सलीम): मामला गम्भीर है। जिन लोगों को पट्टा मिला है और उनको बेदखल किया गया है, मैं सजेशन तो नहीं दे सकता लेकिन गृह मंत्री जी यहां पर हैं, सरकार को यह देखना चाहिये।

RE: DEGENERATION IN THE WORKING OF SANJAY GANDHI MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, LUCKNOW

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान एक दुखद प्रकरण की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, आप जानते हैं कि जो भी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित होता है तो वह मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के